न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
नियमित जमानत आवेदन सं0– 153/2026
आदेश

02.06.2026 यह नियमित जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त बादल कुमार की ओर से दाखिल किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 140(3), 96 के अधीन दर्ज नासरीगंज थाना कांड सं0 106/2026 में दिनांक 13.04.2026 से कारा में है। उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की कॉपी विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश्वर कुमार दूबे को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन रियांका कुमारी द्वरा लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया गया है कि दिनांक 26.03.2026 को अपराह्न लगभग 2.45 बजे विद्यालय की छात्रा नन्दती कुमारी, जो कक्षा आठवीं की छात्रा है, विद्यालय से बिना अनुमति से निकल गईं छात्रा के परिजनों एवं रिश्तेदारों को सूचना देने पर ज्ञात हुआ कि वह बादल कुमार के साथ चली गई है। आवेदन में छात्रा की बरामदगी हेतु पुलिस से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना या सत्र न्यायालय में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपहृता स्वयं आवेदक अभियुक्त के साथ चली गई थी। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं बनता है तथा अभियोजन का मामला झूठा एवं मनगढ़ंत है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि सूचिका ने स्वयं अपहृता को घटनास्थल से ले जाते हुए नहीं देखा था, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त को दुर्भावना एवं गलत इरादे से एक साजिश के तहत इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 13.04.2026 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा कहा है कि केस डायरी के साथ

लगातार
02.06.2026

अपहृता का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज बयान संलग्न है। उक्त बयान से यह प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त विवाह करने के उद्देश्य से अपहृता को अपने साथ ले गया था। अपहृता की आयु घटना के समय लगभग पंद्रह वर्ष थी। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध सूचक की अव्यस्क पुत्री का विवाह के उद्देश्य से अपहरण करने की बात कही जाती है। वाद के अनुसंधान के क्रम में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य आया है कि उसने सूचक की अव्यस्क पुत्री का विवाह के लिए अपहरण किया था तथा वे पति–पत्नी के रूप में रहे थे। आगे विद्वान अपर लोक अभियोजक ने कहा है कि इस वाद में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान जारी है। अतः उन्होंने वाद के वर्तमान प्रक्रम में आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक अभियुक्त के अनुसार अभिलेख पर उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध सूचक की अव्यस्क पुत्री का विवाह के उद्देश्य से अपहरण करने की बात कही जाती है। वाद के अनुसंधान के क्रम में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य आया है कि उसने सूचक की अव्यस्क पुत्री का विवाह के लिए अपहरण किया था तथा वे पति–पत्नी के रूप में रहे थे। अपहृता की आयु घटना के समय लगभग पंद्रह वर्ष बताई गई है। वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, आरोपों की प्रकृति, अपहृता के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान तथा वाद के वर्तमान चरण को दृष्टिगत रखते हुए मैं वाद के वर्तमान प्रक्रम में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।